कम्पनी की शर्ते :-

1) डीलर को अपने क्षेत्र में माल की बिक्री के लिए हमारे कंपनी द्वारा निर्मित प्रभा ब्रांड पशु आहार खरीदेगा ।
2) सिर्फ नगद भुगतान पर ही हमारी कम्पनी 50 किलो के बोरी पर 10 रुपये की छूट और 25 किलो की बोरी पर 5 रुपये की छूट (Cash Discount) देगी ।
3) पशु आहर में किसी भी तरह की गड़बड़ी या त्रुटी होने पर ग्राहक को अधिकतम 1 महीने के अन्दर कम्पनी को सूचित करके पशु आहार फैक्ट्री में पहुचाना होगा ।
4) यदि एक महीने से देरी होती है तो कम्पनी की रिफिनिशिंग व ट्रांसपोर्टेशन खर्च पार्टी को वहन करना होगा।
5) माल को नमी व दीवार से दूर रखें, माल में किसी भी तरह की अगर नमी आती है, तो यह पार्टी की पूर्णतः जिम्मेदारी होगी ।
6) प्रभा पशु आहार की पैकेजिंग और बैग की क्वालिटी BOPP व उत्तम है, और बैग की तौल 50 कि.ग्रा., 25 कि.ग्रा., और 10 कि.ग्रा. की पैकेजिंग(When bag is Packed) होती है, बैग की पैकिंग/तौल आधुनिक कांटा द्वारा किया जाता है, और पशु आहार में माँइस्चर 11% होने की वजह से गुजरते समय के साथ वजन में सुख्ती हो जाति है, जिससे की तौल में कुछ वजन कम हो सकता है, माल की अवधि अधिकतम 6 महीने की होती है|
7) कम्पनी के सेल्समैन द्वारा डीलर के साथ किया गया व्यवसाय, कम्पनी के साथ किया गया व्यवसाय माना जायेगा।
8) डीलरशिप सिर्फ नगद भुगतान पर ही मान्य ।

   सभी माल की रकम या बकाया राशि सिर्फ हमारे कम्पनी के बैंक खाता में जमा करें, जो इस प्रकार है –

   PRABHAWATI CATTLE FEED INDUSTRIES
   BANK NAME : BANK OF BARODA
   A/C : 10380500000168
   IFSC : BARB0JABMIR
   BRANCH : BAJIRAO KATRA, MIRZAPUR

9) कम्पनी के किसी भी प्रतिनिधि या सेल्समैन को नगद भुगतान ना करें, जब तक कि कम्पनी के मालिक की स्वीकृति ना मिल जाये, बिना अनुमति के नगद भुगतान करने पर डीलर स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
10) कंपनी में सिक्योरिटी मनी डिपाजिट करने के पश्चात, आपके दिए गए निम्नलिखित क्षेत्र में अगर किसी और बिशेष डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कम्पनी से माल जाता है तो वह आपके द्वारा माना जाएगा, व आपका कमिशन जुड़ा रहेगा।
11) कम्पनी के प्रति अगर किसी भी तरह की छति पहुचाने पर, धोखाधड़ी या हमारे सेल्समैन के साथ दुर्व्यवहार करने पर कम्पनी के साथ दुर्व्यबहार माना जायेगा और कम्पनी क़ानूनी कार्यवाही कर सकती है ।
12) अगर किसी कारण द्वारा सेल्समैन कम्पनी से अलग हो जाता है या नौकरी छोड़ देता है, तो उसके द्वारा आपके साथ किये गए व्यवसाय से सम्बंधित सभी बकाया राशि कम्पनी को भुगतान करना होगा ।
13) सेल्समैन के द्वारा वितरक या डीलर को विक्रय बढ़ाने के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार या प्रलोभन का वादा तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक की उस पर मालिक की लिखित स्वीकृति न मिल जायें, और स्कीम या पुरस्कार सिर्फ नगद पेमेंट पर ही मान्य ।

14) सभी डीलर भाईयों से अनुरोध है की आप जिस फर्म एवं नाम से पशु आहार मंगाते हैं, आप उसी नाम से कम्पनी में बिल का भुगतान करेंगे या करायेंगे, ऐसा न करने पर भुगतान नहीं मान्य होगा, अगर आप किसी अन्य फर्म या नाम से भुगतान करना चाहतें हैं तो उसका नाम एवं पता लिखित रूप में कम्पनी को देना होगा |
15) अगर हमारी कम्पनी का कोई भी प्रतिनिधि या सेल्समैन आपसे किसी भी प्रकार का कमिशन या अनुचित रकम की माँग करता है, तो आप तुरंत हमें इस नंबर पर +91 9621632377 पर सूचित करें |
16) डीलर को डिलीवरी के समय मूल्य के अनुसार पशु आहार की कीमत का भुगतान करना होगा। जिसे कंपनी द्वारा मौजूदा आदेश के अनुसार समय-समय पर कम कमीशन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। डीलर को संशोधित मूल्य के बारे में संशोधन के प्रभाव की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले सूचित किया जाएगा, यदि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर और शुल्क लगाए जाते हैं, तो डीलर द्वारा वहन किया जाएगा, जब तक कि फ़ीड की लागत के अलावा, पारस्परिक रूप से सहमति नहीं दी जाएगी।
17) डीलर अपने मार्केटिंग नेटवर्क, यानी उप डीलरों / खुदरा विक्रेताओं आदि को अपने संचालन के क्षेत्र में स्थापित करेगा और उन्हें अपने विवेक पर फ़ीड की मौजूदा कीमत पर उचित छूट / कमीशन देगा।
18) डीलर द्वारा मासिक खरीद और बिक्री विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो खरीद और बिक्री का कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप (फॉर्मेट) में देना होगा।
19) कंपनी को सीधे सरकारी विभागों, सरकारी फर्मों, सरकारी उपक्रमों, NGO, गैर लाभकारी संगठन, या फिर दान के उद्देश्य से इस तरह के अन्य संगठन को डीलर के संचालन के क्षेत्र के भीतर स्थित फीड की आपूर्ति का अधिकार है, डीलर ऐसी बिक्री पर किसी भी कमीशन आदि के हकदार नहीं होंगे।

    हालाँकि, कंपनी अपने विवेक पर डीलर के माध्यम से उपरोक्त संगठनों को आपूर्ति बनाए रखने का चुनाव करती है और इस तरह की घटना में, इस तरह की आपूर्ति के लिए डीलर द्वारा प्रभावित अन्य आपूर्ति के साथ लंबित हो जाएगी।

20) डीलर को फीड से सम्बंधित माल की डिलीवरी के लिए फैक्ट्री से उठाना होगा और उसकी डिलीवरी के लिए प्रायः अपनी बिक्री के लिए गाड़ी की व्यवस्था करेगा और उससे जुडी जोखिम को उठाना होगा और जब तक अन्यथा लिखित रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता और डीलर के क्षेत्र में लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क डीलर को ही वहन करना होगा | पारगमन या जो भी सामग्री के लिए किसी भी नुकसान, तीर्थयात्रा, कमी या क्षति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा।
21) डीलर डिलीवरी की स्थिति, गुणवत्ता के साथ-साथ पैकिंग की स्थिति के अनुसार खुद को संतुष्ट होना है और डिलीवरी प्रभावित होने के बाद कंपनी फीड की संतुष्टि परखने हेतु या शिकायत हेतु, डीलर को एक महीने तक का समय देती है जिससे की डीलर से लेकर किसान तक हमारे फीड से संतुष्ट हो और पशु आहार के फीडबैक (Response) बता सके, तत्पश्चात एक महीने के बाद डीलर स्वयं जिम्मेदार होंगे |
22) शेड्यूल डेट पर डिलीवरी, पर्याप्त फीड व पशु आहार को तैयार स्थिति में रखने के लिए डीलर को एक सप्ताह पहले ही पशु आहार की आर्डर के लिए बताना होगा, जिससे की डिलीवरी में देरी न हो, यदि डीलर निर्धारित तिथि पर माल को नही उठा पा रहा है या फीड का वितरण करने में विफल रहता है, तो कंपनी अपने स्वयं के विकल्प पर डीलर को कोई नोटिस दिए बिना, फीड को वितरण करने के लिए, क्षेत्र के भीतर या बाहर किसी भी तरह से निपटाना कर सकती है। और इस सन्दर्भ में फ़ीड के निपटाने में, फ़ीड के मूल्य का 2%, या कंपनी की वित्तीय हानि या जो भी अधिक हो इस संबंध में सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर नकद द्वारा डीलर को मुआवजा / भुगतान करना होगा, हालाँकि डीलर को नोटिस जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

23) कंपनी के अन्दर, बाहर या किसी भी तरह की हड़ताल, लॉकआउट, श्रम की कमी, कच्चे माल की कमी, संयंत्र और मशीनरी के टूटने, बिजली में व्यवधान के कारण, या राजनितिक मसला के कारण माल का निष्पादन (क्रिया करने में देरी भगवान का अधिनियम (ऐक्ट ऑफ़ गॉड) या इस कंपनी के नियंत्रण से परे, फ़ीड या फ़ीड सामग्री की आपूर्ति में प्रतिबंध आदि या किसी भी अपरिहार्य या अप्रत्याशित घटनाओं के आंदोलन पर, माल की डिलीवरी देने में देरी हो सकती है, जो कि कंपनी के कंट्रोल में नही है, माल की डिलीवरी देने में देर होने के सन्दर्भ में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगी। ।

24) यदि डीलर अपने न्यूनतम आपूर्ति फीड (Minimum Supply Feed) को पूरा नही कर पाता है तो डीलर को सिर्फ 3 महीने तक का समय होगा, की वह अपने न्यूनतम आपूर्ति फीड को पूरा करे, नही कर पाने पर डीलर को 2% न्यूनतम आपूर्ति फीड का 2% की रकम, कंपनी को 15 दिन के भीतर जमा करना होगा ।

25) किसी भी लागू अधिनियम और नियमों के प्रावधान को पक्षपात के बिना यह समझौता संचालित रहेगा, और किसी भी संघर्ष/टकराव/मतभेद के मामले में, लागू अधिनियम का प्रावधान के तहत इस समझौते पर नियम लागू होंगे। और ऐसी किसी भी घटना में अगर कंपनी को अगर किसी भी तरह से नुकसान या विरुद्ध होता है तो आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है तथा अन्य आवश्यक समझौते का अनुपालन किया जाएगा।

26) कोई भी विवाद, अंतर या प्रश्न जो किसी भी समय निगम और डीलर के बीच उत्पन्न हो सकता है, इस समझौते के वास्तविक निर्माण को छूने या पार्टियों के अधिकारों और देनदारियों को, जब तक अन्यथा यहां स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, प्रबंध/पुष्टिकरण/संशोधन के लिए भेजा जाता है।

27) डीलर को प्रतिवर्ष डीलरशिप समाप्ति की तारीख से एक महीने पहले समझौते को नवीनीकृत करने हेतु डीलरशिप के लिए समझौते को कंपनी और डीलर दोनों के आपसी विवेक पर वार्षिक रूप से विस्तारित किया जाएगा जिसमे की कंपनी अपने विवेक पर पार्टी को डीलरशिप को आगे बढ़ाया जाये या निरस्त कर दिया जाये, इसका पूर्ण अधिकार होगा अंततः पार्टी पुनः डीलरशिप आवेदन करने के लिए स्वच्छंद रूप से नवनीकरण पत्र को भर सकता है|

डीलर को प्रतिवर्ष वार्षिक नवनीकरण के लिए नवनीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य है,

शुल्क = स्थान का पिन कोड की संख्या x 500

28) उपरोक्त डीलर/ डिस्ट्रीब्यूटर/ रिटेलर/ दुकानदार/ शेयरहोल्डर/ इनवेस्टर/ फर्म/ कंपनी/ प्रोपराईटर/ इंडस्ट्री / सेल्स ऑफिसर या किसी भी तरह के व्यक्ति विशेष, सभी कंपनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु जुड़ेंगे और सभी प्रभावती कैटल फीड इंडस्ट्रीज के अधीन होंगे ।

29) आपसे अनुरोध है कि आप कम्पनी के एक सदस्य होने के नाते, हमें समय-समय पर पशु आहार से सम्बंधित मार्केट के बारे में जानकारी देते रहेंगे, जिससे हम और भी गुणवत्ता वाले पशु आहार का निर्माण कर सकें ।

प्रभापशुआहार